न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 137 / 2022

उनवान

सम्पत सिंह पुत्र घीसा सिंह जाति रावत नि. भवानीखेडा तहसील नसीराबाद
—— वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री अविनाश प्रसाद शर्मा

बनाम

1. छीतर सिंह पुत्र राजू सिंह,
2. राम सिंह,
3. बीरम सिंह,
4. कालू सिंह पुत्र छोटू सिंह,
5. जमनी पत्नि छोटू सिंह,
6. भँवरी पत्नि राम सिंह,
7. रूकमा पत्नि छीतर सिंह,
8. भोली पत्नि सुखदेव,
9. दीपक पुत्र राम सिंह समस्त जाति रावत नि. भवानीखेडा तहसील नसीराबाद अजमेर,
10. तहसीलदार, तहसील नसीराबाद अजमेर

—— प्रतिवादी :— 10. जरियें राज0 पैरोकार, शेष अनुपस्थित

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: निर्णय :—

दिनांक :— 20.11.24

वादी ने जरियें अधिवक्ता उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भवानीखेडा के हाल खसरा नम्बर 1104 रकबा 0.24, 1105 रकबा 0.02, 3595 / 1116 रकबा 0.2150 की आराजी वादी की माता ने वादी को दिनांक 06.06.22 को दान दी है। आराजी मुतनाजा का नामान्तकरण भी वादी के नाम दर्ज हो गया है। वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। वादी की माता विधवा व वृद्ध है जिस कारण प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर अपना हक जमाते हुये दखलदांजी कर रहे है। वादी द्वारा आराजी मुतनाजा का सीमाज्ञान भी करवाया गया किन्तु प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर काटें डालकर अतिक्रमण करने पर आमादा है। सीमाज्ञान की कार्यवाही को उनके द्वरा नही माना जा रहा है। प्रतिवादीगण निरन्तर आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी व वादी के कब्जे [illegible] में व्यवधान उत्पन्न करने पर आमादा है। अतः प्रतिवादीगण को जरियें अस्थाई [illegible] मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रति[illegible] तलब किया गया। [illegible] वादी संख्या 1 से 9 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने मूल वाद मे जवा[illegible] कर निवेदन किया कि राजहित प्रभावित नही होता है।
प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :—

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:06:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

1. आया वादग्रसत आराजी वादी की खातेदारी होने व प्रतिवादीगण द्वारा अनावश्यक दखलदांजी किये जाने के कारण वादी विरूद्व प्रतिवादी स्थायी निषेघाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ?

—— वादी

2. अनुतोष ?

अधिवत. वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये व वादी का शपथ पत्र पेश किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत किया जाता है :—

तनकी संख्या 1 :—

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के अनुसार आराजी मुतनाजा वादी की माता के नाम खातेदार अंकित थी। खातेदार नाथी पत्नी घीसा सिंह द्वारा उक्त आराजी जरियें दान पत्र वादी को हस्तांतरण कर दी, जिसका नामान्तकरण वादी के नाम अंकित हो चुका है। प्रतिवादीगण का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत दिनांक 20.5.20 को मौका पर्चा अनुसार वार्दी की आराजी के कुछ हिस्से पर छोटू सिंह द्वारा कांटे डाल कर अतिक्रमण किया हुआ है। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। वादग्रस्त आराजी पर तहसीलदार नसीराबाद का कोई हित प्रभावित नही हाता है। पवादी आराजी मुतनाज का रिकार्डेड खातेदार है। प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक वादी सिद्व होता है। वादीकी माता विधवा व वृद्ध होने से उनके द्वारा आराजी मुतनाजा वादी के नाम जरियें दान पत्र की गयी। दिनांक 20.5.20 के मौका पर्चा अनुसार वादी की खातेदारी भूमि पर दखलदांजी की जा रही है, यदि व्यादेश जारी नही किया जाता है तो मौके पर वाद बहुलता की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी वादी के पक्ष में सिद्व होती है। वादी विरूद्व प्रतिवादीगण स्थायी निषेघाज्ञा प्रापत करने का अधिकारी है।

अतः ग्राम भवानीखेडा के हाल खसरा नम्बर 1104 रकबा 0.24, 1105 रकबा 0.02, 3595/1116 रकबा 0.2150 पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 से 9 को जरिये स्थायी निषेघाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा पर वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी नही करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:06:56 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

सम्पत बनाम छीतर

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 137/2022
पेश करने की दिनांक – 21.09.22

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक अविननाश शर्मा मुद्दई अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम भवानीखेडा के हाल खसरा नम्बर 1104 रकबा 0.24, 1105 रकबा 0.02, 3595/1116 रकबा 0.2150 पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 से 9 को जरिये स्थायी निषेघाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा पर वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी नही करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांकमाह 20-11-24 सन् **2024** को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:06:56 IST
Reason: SelfAttested